



दिनांक 14.11.2022

प्रेस विज्ञप्ति 14/2022

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय उ0प्र0 के ऑडिटोरियम में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा आज दिनांक: 14.11.2022 को पुलिस मुख्यालय गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ के अवनि ऑडिटोरियम में पुलिस कार्मिकों के लिये कार्डियक अरेस्ट होने पर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) के प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

उक्त प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन प्रोफेसर आदित्य कपूर, विभागाध्यक्ष, कार्डियोलॉजी, संजय गॉधी पोस्ट ग्रेजुएट आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ के साथ किया गया।

प्रो0 आदित्य कपूर द्वारा अवनि ऑडिटोरियम में सीपीआर पर आयोजित कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों को CPR Cardiopulmonary resuscitation और AED Automated External defibrillator मशीन प्रयोग करने का प्रशिक्षण दिया गया।

CPR एक सरल जीवन रक्षक विधि है और इसे आसानी से सीखा जा सकता है और इससे सडन कार्डियक अरेस्ट (SCA) के victims को बचाया जा सकता है। सडन कार्डियक अरेस्ट (SCA) का मतलब है कि दिल अचानक धड़कना बंद कर देता है— यह हृदय की पंपिंग क्रिया को बाधित करता है तथा मस्तिष्क और शरीर को काम करने के लिए पर्याप्त रक्त की आपूर्ति नहीं होती है। यह किसी को भी, कभी भी और कहीं भी हो सकता है। SCA आमतौर पर वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन (Ventricular fibrillation) नामक हृदय तल में अचानक विद्युत गड़बड़ी के परिणामस्वरूप होता है। हमारे देश में हर वर्ष लगभग 2 मिलियन लोगो की SCA के कारण घर पर या सार्वजनिक स्थानों पर अचानक मृत्यु हो जाती हैं।

तत्काल मदद के बिना (पहले तीन मिनट के भीतर) पीड़ित के बचने की संभावना लगभग शून्य होती है। 3 मिनट में कार्डियक गतिविधि फिर से शुरू करनी चाहिए अन्यथा मस्तिष्क को स्थायी क्षति हो सकती है। जीवन रक्षक उपाय शुरू करने में हर 1 मिनट की देरी होने से बचने की संभावना 10% कम हो जाती है यद्यपि (SCA) पीड़ितों को लोगो द्वारा बचाया जा सकता है, कार्डियो-पल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) के बारे में जन जागरूकता की कमी के कारण ऐसे व्यक्ति बच नहीं पाते। जनता को यह जानने की जरूरत है कि CPR कैसे किया जाता है, ताकि जब समय आए, तो तत्काल मदद की जा सके ।

पूरी दुनिया में पुलिस कर्मियों को बाईस्टैंडर CPR के लिए प्रशिक्षित किया जाता है क्योंकि वे हर समय जनता के करीब होते हैं (as first responders) और तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। यदि पुलिस कर्मियों के पास ऐसी ट्रेनिंग है तो वे medical सहायता आने तक कार्डियक अरेस्ट के victims को बचा सकते हैं और समय पर अस्पताल पहुंचा सकते हैं।

प्रो० आदित्य कपूर ने बताया कि यदि लोग CPR सीखें और AED मशीन उपलब्ध हो तो करीब 70 से 80% SCA victims को बचाया जा सकता है।

उनके द्वारा प्रशिक्षण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान केन्द्रित किया गया:—

- अचानक कार्डियक अरेस्ट की पहचान किस प्रकार करें।
- सीपीआर की तकनीकों पर व्यवहारिक प्रशिक्षण।
- ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर (AED) या शॉक मशीन नामक जीवन रक्षक उपकरण के उपयोग के लिये व्यवहारिक प्रशिक्षण।

उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्यालय स्थित विभिन्न इकाईयों से पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रतिभाग कर प्रशिक्षण प्राप्त किया गया।



जनपद बिजनौर/थाना धामपुर

- पुलिस कार्यवाही में 25-25 हजार रुपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
 - 56 हजार रुपये नगद
 - 01 मोटर साइकिल
- 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद

दिनांक: 13.11.2022 को थाना धामपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर राजपुताना प्वाइंट पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिससे 02 आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1-राहुल 2-विकास घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 56 हजार रुपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त विकास के विरुद्ध जनपद बिजनौर, शामली के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं। गिरफ्तार अभियुक्त थाना धामपुर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना धामपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-राहुल निवासी भागीरथ डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2-विकास निवासी भागीरथ डेरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

बरामदगी

1-56 हजार रूपये नगद।

2-01 मोटर साइकिल।

3-02 अवैध तमंचा 315 बोर, 02 जीवित, 02 खोखा कारतूस।

जनपद फतेहगढ/थाना मऊदरवाजा

- पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार
- 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर)

- 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद

दिनांक: 14.11.2022 को थाना मऊदरवाजा व काइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अर्रापहाड़पुर तिराहा से शमशाबाद रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस कार्यवाही के दौरान पुरस्कार घोषित अभियुक्त शिवा गिहार उर्फ कचरा घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर), 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद फतेहगढ, मैनपुरी के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 30 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना कोतवाली पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मऊदरवाजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शिवा गिहार उर्फ कचरा निवासी गिहार कालोनी कस्बा व थाना भोगांव जनपद
मैनपुरी।

बरामदगी

1—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

2—01 अवैध तमंचा 315, 01 जीवित, 01 खोखा कारतूस आदि।

जनपद जालौन/थाना कोतवाली जालौन

- लूट की घटना का अनावरण
 - 02 अभियुक्त गिरफ्तार
 - लूटी गई ट्रक, नगद रूपया
- घटना में प्रयुक्त 01 मारुति सुजुकी कार बरामद

दिनांक 14.11.2022 को थाना कोतवाली जालौन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर कमसेरा चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों 1—जसविन्दर 2—सत्यम को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटी गई ट्रक, नगद रूपया, घटना में प्रयुक्त 01 मारुति सुजुकी कार बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त दिनांक 11.11.2022 की रात्रि थाना कोतवाली जालौन क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद ट्रक उक्त लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-जसविन्दर निवासी मझपटिया थाना सौरिख जनपद कन्नौज।
- 2-सत्यम निवासी खणनी थाना सौरिख जनपद कन्नौज।

बरामदगी

- 1-लूटी गई ट्रक, नगद रूपया।
- 2-घटना में प्रयुक्त 01 मारुति सुजुकी कार।

जनपद आजमगढ़/थाना मेंहनगर

• 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14.11.2022 को थाना मेंहनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मेंहनगर बस स्टैण्ड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त लालचन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जो थाना मेंहनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 338/2022 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-लालचन्द्र निवासी खजुरी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

जनपद सहारनपुर/थाना कोतवाली देहात

- 03 अभियुक्त गिरफ्तार
- चोरी की 11 मोटर साइकिल
- 05 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

दिनांक 13.11.2022 को थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्रान्तर्गत चेकिंग के दौरान 03 अभियुक्तों 1-हिमान्शु 2-ऋतिक 3- उज्ज्वल

उर्फ बल्लू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 11 मोटर साइकिल, 05 फर्जी नम्बर प्लेट बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद सहारनपुर, उत्तराखण्ड व हरियाणा से मोटर साइकिल चोरी कर ग्राहक मिलने पर बेच देते हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-हिमान्शु निवासी दतौली राघड़ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
- 2-ऋतिक निवासी दतौली राघड़ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।
- 3-उज्ज्वल उर्फ बल्लू निवासी दतौली राघड़ थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

- 1-चोरी की 11 मोटर साइकिल।
- 2-05 फर्जी नम्बर प्लेट।

जनपद मैनपुरी/थाना कुरावली/थाना भोगाँव/थाना बिछवां

- अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार
 - 18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर
 - 04 जीवित, 16 खोखा कारतूस विभिन्न बोर
 - 05 नाल विभिन्न बोर
- भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद

दिनांक 14.11.2022 को थाना कुरावली, थाना भोगाँव व थाना बिछवां की पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर विभिन्न स्थानों से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे

04 अभियुक्तों 1-अनेक 2-प्रमोद 3-योगेश उर्फ सुशांक उर्फ छोटू 4-मेघनाथ को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 04 जीवित, 16 खोखा कारतूस विभिन्न बोर, 05 नाल विभिन्न बोर, भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कुरावली, थाना भोगाँव व थाना बिछवां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अनेक निवासी भरतपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी।
- 2-प्रमोद निवासी तुज्जापुर थाना भोगाँव जनपद मैनपुरी।
- 3-योगेश उर्फ सुशांक उर्फ छोटू निवासी सरैया थाना भोगाँव जनपद मैनपुरी।
- 4-मेघनाथ निवासी खटाना थाना बिछवां जनपद मैनपुरी।

बरामदगी

- 1-18 निर्मित/अर्द्ध निर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।
- 2-04 जीवित, 16 खोखा कारतूस विभिन्न बोर।
- 3-05 नाल विभिन्न बोर।
- 4-भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

जनपद बाराबंकी/थाना कोतवाली नगर

- 01 अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार
 - 250 ग्राम अवैध स्मैक
 - नगद रुपये, 02 मोबाइल फोन
- घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद

दिनांक 14.11.2022 को थाना कोतवाली नगर व एण्टी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर अवैध मादक पदार्थ तस्कर बच्चू को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 250 ग्राम अवैध स्मैक, नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1-बच्चू निवासी कासिमपुर पकरी थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ।

बरामदगी

1-250 ग्राम अवैध स्मैक।

2-नगद रूपये, 02 मोबाइल फोन।

3-घटना में प्रयुक्त स्कार्पियो वाहन।

जनपद कुशीनगर/थाना हाटा

- 02 अभियुक्त गिरफ्तार
- लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 42 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा
- 52 हजार 550 रूपये नगद
- घटना प्रयुक्त 01 कन्टेनर, 01 कार बरामद

दिनांक: 14.11.2022 को थाना हाटा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भुड़कुलवा चौराहे के दक्षिण तरफ एनएच-28 के सर्विस लेन के पास चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों 1-अकरम 2-सुग्रीव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 42 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा, 52 हजार 550 रूपये नगद, घटना प्रयुक्त 01 कन्टेनर, 01 कार बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना हाटा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1-अकरम निवासी ग्राम मातीपुर थाना असमौली जनपद सम्भल।
- 2-सुग्रीव निवासी लाल टोली थाना रूद्रपुर जनपद देवरिया।

बरामदगी

- 1-लगभग 06 लाख रूपये कीमत के 42 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा।
- 2-52 हजार 550 रूपये नगद।
- 3-घटना प्रयुक्त 01 कन्टेनर, 01 कार।

➤ जनपद उन्नाव/थाना बारासगवर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जिला जज उन्नाव द्वारा थाना बारासगवर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त राजेश को आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।
